वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सं. 4/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर

सा.का.नि. 741(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 146 के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के अनुसरण में, रजिस्ट्रीकरण, कर के संदाय, विवरणियों को प्रस्तुत करने, एकीकृत कर की संगणना और परिनिर्धारण और इलैक्ट्रानिक वे बिल को सुकर बनाने के लिए www.gst.gov.in को सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रानिक पोर्टल के रूप में अधिसूचित करती है।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "www.gst.gov.in" से माल और सेवा कर नेटवर्क, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के उपबंधों के अधीन निगमित एक कंपनी द्वारा चलाई जाने वाली वेबसाइट अभिप्रेत है। 2. यह अधिसूचना 22 जून, 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[फा. सं. एस-31011/25/2017-एसटी-I-डीओआर] एस. आर. मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2017

No. 4/2017 - Union Territory Tax

G.S.R. 741(E).—In pursuance of section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with section 146 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby notifies www.gst.gov.in as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for facilitating registration, payment of tax, furnishing of returns, computation and settlement of integrated tax and electronic way bill.

4032 GI/2017 (1)

Explanation.- For the purposes of this notification, "www.gst.gov.in" means the website managed by the Goods and Services Tax Network, a company incorporated under the provisions of section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

2. This notification shall be deemed to have come into force on the 22nd day of June, 2017.

[F. No. S-31011/25/2017-ST-I-DOR]

S. R. MEENA, Under Secy.